



- अवधारणा: फ्लड-प्लेन जोनगि की मूल अवधारणा बाढ़ से होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिये बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को नयित्तरति करना है।
- विकासात्मक गतिविधियों का नरिधारण: इसका उद्देश्य विकासात्मक गतिविधियों के लिये स्थानों और क्षेत्रों की सीमा को इस तरह से नरिधारति करना है कि नुकसान कम-से-कम हो।
- सीमाओं में वृद्धि: इसमें असुरकषति और संरकषति दोनों क्षेत्रों के विकास पर सीमाएँ नरिधारति करने की परकिलपना की गई है।
  - असंरकषति क्षेत्रों में अंधाधुंध विकास को रोकने के लिये उन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतबिंध लगाकर उनकी सीमाओं का नरिधारण करना।
  - संरकषति क्षेत्रों में केवल ऐसी विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें सुरक्षात्मक उपाय वफिल होने की स्थिति में भारी क्षति न हो।
- उपयोगति: जोनगि मौजूदा स्थितियों का समाधान नहीं कर सकती है, हालाँकि यह नश्चिति रूप से नए विकास क्षेत्र में बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने में मदद करेगी।
  - फ्लड-प्लेन जोनगि न केवल नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के मामले में आवश्यक है, बल्कि यह वशिष रूप स्त्राहरी क्षेत्रों में जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम करने में भी उपयोगी है।
- बाढ़ की संवेदनशीलता:
  - भारत के उच्च जोखमि और भेद्यता को इस तथ्य से आकलति कयिा गया है कि 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलकि क्षेत्र में से 40 मलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है।
  - बाढ़ के कारण प्रतविरष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावति होती है तथा लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है एवं इसके कारण फसलों व मकानों तथा जन-सुवधियों को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए है।
- फ्लड-प्लेन जोनगि के लिये मॉडल ड्राफ्ट बलि:
  - परचिय: यह बलि/वधियक बाढ़ क्षेत्र प्राधकिरण, सर्वेकषण और बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के परसीमन, बाढ़ के मैदानों की सीमाओं की अधसूचना, बाढ़ के मैदानों के उपयोग पर प्रतबिंध, मुआवजे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जल के मुक्त प्रवाह को सुनश्चिति करने के लिये इन बाधाओं को दूर करने के बारे में प्रवशिष्टि प्रदान करता है।
    - इसके तहत बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों के नचिले इलाकों के आवासों को पार्कों और खेल मैदानों में प्रतस्थापति कयिा जाएगा क्योंकि उन क्षेत्रों में मानव बस्ती की अनुपस्थति की वजह से जान-माल की हानि में कमी आएगी।
  - कार्यानवयन में चुनौतियाँ:
    - संभावति वधियी प्रकरयिा के साथ-साथ बाढ़ के मैदान प्रबंधन हेतु वभिनिन पहलुओं का पालन करने के दृष्टिकोण में राज्यों की ओर से प्रतबिंध कयिा गया है।
      - राज्यों की अनच्छिा मुख्य रूप से जनसंख्या दबाव और वैकल्पकि आजीवकिा प्रणालियों की कमी के कारण है।
    - बाढ़ के मैदानों के नयिओं को लागू करने और लागू करने के प्रतराज्यों की उदासीन प्रतकिरयिा न्बाढ़ क्षेत्रों के अतकिरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जसिमें कभी-कभी अधकृत और नगर नयिोजन अधकिारयिों द्वारा वधिवित अनुमोदति अतकिरण के मामले देखने को मलिते हैं।
- संबंधति संवेधानकि प्रावधान और अन्य उपाय:
  - सूची II (राज्य सूची) की प्रवशिष्टि 17 के रूप में जल नकिासी और तटबंधों/बाँधों को शामिल करने के आधार पर, "अंतर-राज्यीय नदियों एवं नदी के वनियमन और वकिास" के मामले को छोड़कर, बाढ़ नयित्तरण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। 'घाटियों', का उल्लेख सूची I (संघ सूची) की प्रवशिष्टि 56 में कयिा गया है।
    - फ्लड-प्लेन जोनगि राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के किनारे की भूमि से संबंधति है और सूची II की प्रवशिष्टि 18 के तहत भूमि राज्य का वशिष है।
    - केंद्र सरकार की भूमकिा केवल परामर्श देने तथा दशिा-नरिदेश के नरिधारण तक ही सीमति हो सकती है।
  - संवधान में शामिल सातवीं अनुसूची की तीन वधियी सूचियों में से कसिी में भी बाढ़ नयित्तरण और शमन (Flood Control and Mitigation) का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं कयिा गया है।
  - वर्ष 2008 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने बाढ़ को नयित्तरति करने के लिये एक महत्वपूर्ण "गैर-संरचनात्मक उपाय" के रूप में बाढ़ के मैदान क्षेत्र के लिये राज्यों को दशिा-नरिदेश जारी कयिा है।
    - इसने सुझाव दयिा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ 10 वर्षों में बाढ़ की आवृत्ति के कारण प्रभावति होने की संभावना है, उन क्षेत्रों को पार्कों, उद्यानों जैसे हरे क्षेत्रों के लिये आरकषति कयिा जाना चाहयि तथा इन क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं (Concrete Structures) की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि।
    - इसमें बाढ़ के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बात की गई जैसे- 25 साल की अवधि में बाढ़ की आवृत्ति वाले क्षेत्रों में राज्यों को उन क्षेत्र-वशिषिटि योजना बनाने के लिये कहा गया।

## आगे की राह

- चूँकि बाढ़ से हर साल जान-माल की बड़ी क्षति होती है, इसलिये समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालकि योजना तैयार करें जो बाढ़ को नयित्तरति करने हेतु तटबंधों के नरिमाण तथा डरेजगि जैसे उपायों से बढ़कर हो।
- एक एकीकृत बेसनि प्रबंधन योजना (Integrated Basin Management Plan) की आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसनि साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी जोड़े।
- राज्य सरकार को फ्लड-प्लेन जोनगि कानून के लिये मॉडल ड्राफ्ट बलि (Model Draft Bill) को लागू करना चाहयि।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/flood-plain-zoning>

